न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

कि0 केस नं0–1963/2019

सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल आदि

अपराध संख्या–आर.सी. 19(ए)/2018

धारा– 120बी,सपठित धारा 7 एवं 7ए पी.सी. थाना–सी0बी0आई0/ए.सी.बी. लखनऊ।

आरोप

मैं अजय विक्रम सिंह विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन, सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ आप अभियुक्त **सम्राट चन्द्रा** को निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है–

प्रथम–

यह कि आप अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.10.2018 को आपराधिक षडयंत्र के तहत सह अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल, तत्कालीन आयकर निरीक्षक आयकर विभाग रेंज–3 के निर्देश पर शिकायतकर्ता से अवैध पारितोषण के रूप में फ्लैट बी–406 कसमंडा हाउस पर 10 लाख रूपये प्राप्त किये। जिसके सम्बन्ध में आप अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया।उक्त रिश्वत की धनराशि को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष आप अभियुक्त के पास से बरामद भी किया गया जबकि आपके सह अभियुक्त धर्मशील अग्रवाल भी घटना के समय उसी फलैट में उपस्थित थे। जिनके द्वारा अन्य लोक सेवक से अपने निजी प्रभाव का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता का कार्य अनुचित रूप से करवाने के लिए असम्यक लाभ आपके माध्यम से प्राप्त किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा **धारा 120–बी भा0द0सं0** सपठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की **धारा–7 व धारा 7ए** भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपित अपराध के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ

दिनांक–16.10.23

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ

दिनांक– 16.10.23

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन, सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

कि0 केस नं0–1963/2019

सी0बी0आई0 बनाम धर्मशील अग्रवाल आदि

अपराध संख्या–आर.सी. 19(ए)/2018

धारा– 120बी,सपठित धारा 7 एवं 7ए पी.सी. थाना–सी0बी0आई0/ए.सी.बी. लखनऊ।

आरोप

मैं अजय विक्रम सिंह विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन, सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ आप अभियुक्त **धर्मशील अग्रवाल** को निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है–

प्रथम–

यह कि आप अभियुक्त द्वारा आयकर विभाग रेंज–3 में आयकर निरीक्षक लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 29.09.18 को शिकायतकर्ता के लम्बित मामले को हल करने के लिए उससे 60 लाख रूपये रिश्वत की मांग किया। उक्त शिकायत का सीबीआई द्वारा सत्यापन करने पर बातचीत के दौरान आप अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता का कार्य करने के एवज में 20–25 लाख रूपये देने की बात कही गई और शिकायतकर्ता द्वारा उक्त मांगी गई धनराशि की व्यवस्था करने में कठिनाई व्यक्त किये जाने पर आप द्वारा लगभग 10 लाख रूपये की मांग की गई तथा दिनांक 03.10.2018 को आप द्वारा शिकायतकर्ता की एफ.डी.आर. को रिलीज करने हेतु अवैध परितोषण के रूप में 10 लाख रूपये आपराधिक षडयंत्र के तहत सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा को फ्लैट बी–406 कसमंडा हाउस हजरतगंज लखनऊ में पहुॅचाने व देने के लिए कहा गया तथा आप अभियुक्त के निर्देश पर सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष रिश्वत की धनराशि 10 लाख रूपये प्राप्त की गई जिसके सम्बन्ध में आप अभियुक्त को, जो घ ाटना के समय उक्त फलैट में मौजूद थे, गिरफ्तार भी किया गया।उक्त रिश्वत की धनराशि स्वतंत्र गवाहों के समक्ष सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा के पास से बरामद भी किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा **धारा 120–बी भा0द0सं0** सपठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की **धारा–7 व धारा 7ए** भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय–

यह कि आप अभियुक्त द्वारा तत्कालीन आयकर निरीक्षक लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 03.10.2018 को शिकायतकर्ता की एफ.डी.आर. को रिलीज करने हेतु अवैध परितोषण के रूप में 10 लाख रूपये सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा के माध्यम से मांगे और प्राप्त किया जिसे सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा के पास से बरामद भी किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की **धारा–7** भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>तृतीय–</u>

यह कि आप अभियुक्त द्वारा तत्कालीन आयकर निरीक्षक लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 03.10.2018 को शिकायतकर्ता की एफ.डी.आर. को रिलीज करने हेतु शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण के रूप में 10 लाख रूपये का असम्यक लाभ सह अभियुक्त सम्राट चन्द्रा के माध्यम से मांगा और प्राप्त किया तथा अन्य लोक सेवक से अपने निजी प्रभाव का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता का कार्य अनुचित रूप से करवाने के लिए असम्यक लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की **धारा–7ए** भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपित अपराध के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अजय विक्रम सिंह)
दिनांक–16.10.23 विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

(अजय विक्रम सिंह)
दिनांक–16.10.23 विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,
सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ